प्रेस विज्ञप्ति

<u>कोविड–19 टीकाकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेण्टर्स पर पंजीकरण की सुविधा</u>

लखनऊ : 20 मई 2021 : कोविड–19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण में जनसामान्य की कठिनाइयों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा एक बड़ी पहल करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को टीकाकरण के लिए पंजीकरण हेतु कॉमन सर्विस सेण्टर्स (जन सेवा केन्द्रों) की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान समय में पूरा देश एवं प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। इलाज के साथ–साथ इस वायरस के प्रसार के चक्र को तोड़ने के लिये युद्ध स्तर पर उ0प्र0 में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण हेतु नागरिकों का CoWIN पोर्टल (www.cowin.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। टीकाकरण के लिए पंजीकरण में, विशेषकर ग्रामीण नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सी.एस.सी. 3.0 परियोजना के समस्त कॉमन सर्विस सेण्टर्स के माध्यम से नागरिकों को यह सुविधा **निःशुल्क** उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स तथा विलेज लेवेल इन्टरप्रेन्योर्स को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इस समय करीब 93 हजार से अधिक कॉमन सर्विस सेण्टर्स (जन सेवा केन्द्रों) कार्यरत हैं तथा कॉमन सर्विस सेण्टर्स पर यह सुविधा उपलब्ध हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के तथा तकनीकी रूप से अनभिज्ञ व्यक्ति भी टीकाकरण हेतु अपना पंजीकरण बिना किसी असुविधा के करवा सकेंगे। इससे प्रदेश में कोविड टीकाकरण के कार्य में भी गति आयेगी।

नागरिकों द्वारा इस सुविधा का अधिकाधिक उपयोग किया जाये, इसलिए जनपद स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।